2/12/24 पत्रावली पेश [illegible]
P.O [illegible]
[illegible] दिनांक 18/12/24

18/12 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 17/1/25
को पेश हों।

17/1/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 5/3/25 को पेश हो।

5/3/25
पत्रावली पेश हुइ। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 7/4/25
को पेश हों।

7/4/25
पत्रावली पेश हुइ। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 17/6/25
को पेश हों।

17/6/25
पत्रावली पेश हुइ। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 11/7/25
को पेश हों।

11/07/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में तहसीलदार नीमकाथाना ने वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का गलत नाम ''राजेन्द्र पि0 गणेश'' की जगह ''सुरेश कुमार पि0 गणेशराम'' दुरूस्त किया जाना उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:31:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	GCMS - 2024/170 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मनोहर लाल सैनी/ सुरेश कुमार	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बताते हुए नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की थी एवं इसी अनुसार उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने भी प्रा0 पत्र स्वीकार कर दुरूस्ती का आदेश दिया था। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं0 2 का नाम दुरूस्त करने की बजाय प्रार्थी सं0 1 के सही नाम "मनोहर पुत्र गणेश" की जगह "सुरेश पुत्र गणेश" दर्ज कर दिया गया। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात से होती हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि:—

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम गुहाला पटवार हल्का गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 657 व 658 में प्रार्थीगण का गलत दर्ज नाम "सुरेश कुमार पुत्र गणेशराम व राजेन्द्र पुत्र गणेश" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः "मनोहर लाल सैनी व सुरेश कुमार सैनी पुत्र गणेश राम सैनी" दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक को ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:31:32 IST
Reason: SelfAttested